

प्रेषक,

जी०के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: ॥ अगस्त, 2008

विषय:- नाव, मोटरबोट चालक एवं गोताखोर को पारिश्रमिक का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-3428/1-10- 2008-14(23)/2004, दिनांक 08 जुलाई, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ़ की सभावना को दृष्टिगत रखते हुए नाव, मोटरबोट चालक एवं गोताखोर की उपलब्धता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हलाहालाद, गोलखण्डपुर व बहराइच तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय छोटे एवं मझोले नाव के नाविक को अधिकतम रु० 125/-, बड़े नाव के नाविक को अधिकतम रु० 150/-, आवश्यकता के अनुरूप गोताखोर के लिए अधिकतम रु० 200/-प्रतिदिन पारिश्रमिक/मजदूरी तथा मोटरबोट चालक के रिवत पद पर सविदा के आवार पर अधिकतम रु० 4500/-प्रतिनाह के दर से वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि में से करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के मद संख्या-23 "खोज एवं बघाय कार्यों में व्यय" के अन्तर्गत उक्त मद में व्यय होने याली धनराशि मदलाल मासिक व्यय-विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2006 के प्रारूप पर प्रदर्शित की जाय।

भवदीय

(जी०के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

2/-

-2-

संख्या— ३८३७ (१) / १-१०-२००८-१४(२३) / २००४-टी०सी० तददिनाक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

१. महालेखाकार लेखा प्रथम / आडिट उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
२. प्रमुख रायिव, गृह यिनाग, उत्तर प्रदेश शासन।
३. पुलिस महानिरीक्षक, पी०ए०सी०, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
४. आयुक्त एव सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
५. वित्त व्याय नियंत्रण अनुभाग-५
६. वरिष्ठ वित्त एव लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-१०/राजस्व अनुभाग-८/११/राहत वेबसाइट के संपर्योग हेतु।
७. गार्ड बुक।

आङ्गा से,

(लक्ष्मी नारायण)
अनु सचिव।